पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)
टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः– प–10 ( )संस्थापन/प्रबंध बोर्ड/2013–14/ दिनांकः– 09.01.2018

प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 06.01.2018 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 06.01.2018 को कुलपति सचिवालय में प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति इस प्रकार रही:–

1.	प्रो. बी.एल. शर्मा	अध्यक्ष (माननीय कुलपति)
2.	श्री झाबर सिंह खर्रा	मा. सदस्य (मा. विधायक, श्रीमाधोपुर)
3.	श्री रतनलाल जलधारी	मा. सदस्य (मा. विधायक, सीकर)
4.	श्री जयप्रकाश	मा. सदस्य (प्रतिनिधि, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सीकर)
5.	डॉ. मदन सिंह पूनिया	मा. सदस्य (प्रतिनिधि, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा एवं प्राचार्य एस. के. कन्या महाविद्यालय, सीकर)
6.	डॉ. सोमकांत भोजक	मा. सदस्य (मा. कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य)
7.	डॉ. ए. के. गुप्ता	मा. सदस्य (प्रख्यात शिक्षाविद)
8.	डॉ. अमिता अग्रवाल	मा. सदस्य (प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर)
9.	डॉ. दिलसुख थालौड़	मा. सदस्य (डीन विधि)
10.	डॉ. राकेश कुमार	मा. सदस्य (डीन शिक्षा)
11.	डॉ. राजेन्द्र सिंह	सदस्य सचिव (कुलसचिव)

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार मिटिंग के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये जाते हैं:

एजेण्डा बिन्दु संख्या 01: गत बैठक दिनांक 12.10.2017 के कार्यवृत का अनुमोदन। ***(प्राधिकार मण्डल शाखा)***

निर्णयः– सर्वानुमति से दिनांक 12.10.2017 की प्रबंध मण्डल की बैठक की कार्यवाही को अनुमोदित किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 02: AGENDA NO.-2 OF THE PROPOSED UNIVERSITY ORDINANCES UNDER SECTION 44 & 45 OF THE ACT ***(प्राधिकार मण्डल शाखा)***

Board of Management Agenda No.	Part	Proposed Ordinances	
		Ordinance No.	Proposed Chapter and Contents
2.1	Part I- Admission of Students in University and Colleges	1-25	2.1 Admission of Students
2.2		26	2.2 Maximum Duration to pass any academic programme/ course including clearance of Backlog Papers/Courses
2.3		27-37	2.3 Enrolment and Migration of Students
2.4		38-40	2.4 Fee Structure and Freeship

2.5		41-70	2.5 Examination and Attendance to Keep Academic Term and appear in Examination
2.6		71-92	2.6 Non Regular Students: Ex-Student and Non-Collegiate Students
2.7		93-103	2.7 Supplementary Examination
2.8	Part-II Research Study:	104-115	2.8 M.Phil. and Ph.D. Ordinances
2.9	M.Phil./Ph.D./D.Litt./	116-130	2.9 Ordinances Relating to the Post Doctorate Degree in Arts and Social Science: D.Litt.
2.10	D.Sc./ LL.D.	131-148	2.10 Ordinances Relating to the Post Doctorate Degree in Science: D.Sc.
2.11		149-164	2.11 Ordinances Relating to the Post Doctorate Degree in Law: LL.D.
2.12	Part-III Remuneration	165-169	2.12 Remuneration to Examiners, Tabulators, Checkers etc.
2.13	Part-IV Degree and	170-171	2.13 Degree and Diploma
2.14	Diploma: Convocation,	172-186	2.14 Convocation
2.15	Medals and Prizes	187-205	2.15 Medals and Prizes
2.16	Part-V Scholarship,	206-222	2.16 Scholarship
2.17	Endowments and Prizes	223-225	2.17 Conditions for accepting Endowments or Scholarships, Medal and Prizes etc.
2.18	Part-VI Services to Nation	226-232	2.18 N.C.C./N.S.S./Rover Range Training
2.19	Part-VII Recruitment and Conditions of Service	233-239	2.19 Recruitment and Conditions of Service of the Teaching Staff
2.20		240-283	2.20 Recruitment and Conditions of Service of the Teaching Staff: General Terms and Conditions
2.21		284-285	2.21 Promotion: Career Advancement Scheme for Teachers
2.22		286	2.22 College Principal
2.23		287	2.23 Recruitment and Conditions of Service of the Non-Teaching Staff
2.24		288-289	2.24 Recruitment: Selection Committee for Teachers, Officers and other for Direct Recruitment
2.25		290-293	2.25 Promotion for Non-Teaching Staff
2.26		294-298	2.26 Seniority and Other Service Benefits
2.27		299-300	2.27 Leave
2.28		301-319	2.28 Travelling and Halting/Daily Allowances
2.29		320	2.29 Medical Attendance Rules
2.30	Part-VIII Conditions of Admission of Institutions	321	2.30 Conditions of Admission of Institutions
2.31	Part-IX University	322	2.31 University Boards: Empowering Clause
2.32	Boards	323	2.32 Health, Discipline and Residence Board
2.33		324	2.33 Board of Extra Mural Study
2.34		325	2.34 Board for Hostels
2.35		326	2.35 Sports Board
2.36		327	2.36 University Planning and Monitoring Board
2.37		328	2.37 Publication Board
2.38		329	2.38 Library Board
2.39		330	2.39 Admission Board
2.40		331	2.40 Translation Board

संलग्नक 1: प्रस्तावित अध्यादेशों का प्रारूप।

निर्णय: सर्वानुमति से यह निर्णय किया गया कि अध्यादेशों का प्रस्तावित प्रारूप एक दफा सुझावों के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर 21 दिन के लिए अपलोड किया जाये तथा विश्वविद्यालय की ई–मेल आईडी पर सुझाव मांगे जाये। उन सुझावों पर विचार कर समावेश करने अथवा न करने के निर्णय के लिए निम्न सदस्यों की एक समिति गठित की जाये। समिति द्वारा स्वीकृत प्रारूप को पुनः प्रबंध मण्डल की अगली बैठक के समक्ष

अनुमोदनार्थ रखा जाये। यह समिति प्रबंध मण्डल के द्वारा अधिकृत/नियुक्त एवं प्रबंध मण्डल की तरफ से प्रारूप को तय करेगी। समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगें:

1. डॉ. एम. एस. पूनिया, अध्यक्ष
2. डॉ. डी. एस. थालौड़, सदस्य
3. डॉ. मुनेश कुमार, सदस्य
4. श्री बोदूराम मीणा, सदस्य
5. डॉ. अशोक कुमार महला, सदस्य
6. डॉ. राजेन्द्र सिंह, सदस्य सचिव

एजेण्डा बिन्दु संख्या 03: AGENDA NO.-3 OF THE PROPOSED UNIVERSITY REGULATIONSUNDER SECTION 46 OF THE ACT *(प्राधिकार मण्डल शाखा)*

Board of Management Agenda No.	Proposed Regulations	
	Regulation No.	Proposed Title of the Regulation
3.1	2	Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Meetings of the Board of Management Regulations
3.2	3	Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Meetings of the Academic Council Regulations
3.3	4	Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Meetings of the Finance Committee Regulations
3.4	5	Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Meetings of the Faculties Regulations
3.5	6	Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Rules for the Conduct of Selection Committee Regulations

संलग्नक 2: प्रस्तावित रेग्युलेशन के प्रारूप।

निर्णय: सर्वानुमति से यह निर्णय किया गया कि रेग्युलशनस का प्रस्तावित प्रारूप एक दफा सुझावों के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर 21 दिन के लिए अपलोड किया जाये तथा विश्वविद्यालय की ई–मेल आईडी पर सुझाव मांगे जाये। उन सुझावों पर विचार कर समावेश करने अथवा न करने के निर्णय के लिए निम्न सदस्यों की एक समिति गठित की जाये। समिति द्वारा स्वीकृत प्रारूप को पुनः प्रबंध मण्डल की अगली बैठक के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जाये। यह समिति प्रबंध मण्डल के द्वारा अधिकृत/नियुक्त एवं प्रबंध मण्डल की तरफ से प्रारूप को तय करेगी। समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगें:

1. डॉ. एम. एस. पूनिया, अध्यक्ष
2. डॉ. डी. एस. थालौड़, सदस्य
3. डॉ. मुनेश कुमार, सदस्य
4. श्री बोदूराम मीणा, सदस्य
5. डॉ. अशोक कुमार महला, सदस्य
6. डॉ. राजेन्द्र सिंह, सदस्य सचिव

पूरक एजेण्डा:

पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 01: (अ) राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.14 (5)शिक्षा–4/2012 पार्ट जयपुर दिनांक 11.12.2017 के द्वारा निम्नांकित 5 स्नातकोत्तर विभागों एवं उनके अन्तर्गत स्वीकृत पद 1,2,3 के क्रम में प्रोफेसर, एसोसियट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर की स्वीकृति का अनुमोदन एवं इन पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ करने की अनुमति। *(स्थापना शाखा)*

S. No.	Name of the Department (Existing entry)	Name of the Department Revised in Place of existing	Sanctioned Post			
			Professor	Associate Professor	Assistant Professor	Total
1	Department of History	Department of Indian Language	1	2	3	6
2	Department of Geography	Department of Development Studies	1	2	3	6
3	Department of English	Department of Commerce	1	2	3	6
4	Department of Mathematics	Department of Life Science	1	2	3	6
5	Department of Political Science	Department of Legal Studies	1	2	3	6

(संलग्नक–3 राज्य सरकार का आदेश शैक्षणिक पदों के लिए)

नोटः (ब) Department of Development Studies का नाम Department of Economics and Development Studies करने पर विचार।

निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि पूरक एजेण्डा संख्या 01/(अ) एवं नोट (ब) के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा डॉ. जी.एस. कलवानियां की अध्यक्षता में गठित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में प्रस्तावित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की भर्ती हेतु मानदण्डों, नियमों एवं निर्देशों के निर्धारण के संदर्भ में प्रस्तुत सम्पूर्ण प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाता है। साथ ही यह भी निर्धारित किया जाता है कि Department of Development Studies का नाम Department of Economics and Development Studies होगा और इस डिर्पाटमेन्ट की स्थापना Department of Economics and Development Studies नाम से की जाये।

पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 02: राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.14 (5)शिक्षा–4/2012 पार्ट जयपुर दिनांक 04.09.2012 के अनुसार गैर शैक्षणिक पदों अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.14 (5)शिक्षा–4/2012 पार्ट जयपुर दिनांक 09.06.2017 द्वारा निम्नांकित पदों की भर्ती हेतु दी गई अनुमति की स्वीकृति एवं तदानुसार भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने की अनुमति। ***(स्थापना शाखा)***

क्र. सं.	पदनाम	प्रस्तावित पदों की संख्या	भरने हेतु स्वीकृत पद संख्या
1	परीक्षा नियंत्रक	01	01
2	उप कुलसचिव	01	01
3	सहायक कुलसचिव	02	02
4	विधि सहायक (कनिष्ठ विधि अधिकारी)	01	01
5	स्टेनोग्राफर	03	02
6	कनिष्ठ लिपिक	10	05
7	वाहन चालक	02	01
8	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	15	10
	योग	35	23

(संलग्नक–4 राज्य सरकार का आदेश अशैक्षणिक पदों के लिए)

निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि पूरक एजेण्डा संख्या 02 के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा डॉ. जी. एस. कलवानियां की अध्यक्षता में गठित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में प्रस्तावित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की भर्ती हेतु मानदण्डों, नियमों एवं निर्देशों के निर्धारण के संदर्भ में प्रस्तुत सम्पूर्ण प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाता है।

पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 03: गैर शैक्षणिक पदों अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पूर्व में विज्ञापित पदों के रोस्टर में अब पदों की संख्या कम हो जाने के कारण रोस्टर पर पुनर्विचार। *(स्थापना शाखा)*

पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 04: शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु नियमों/निर्देशों पर चर्चा। *(स्थापना शाखा)*
नोटः शैक्षणिक पदों पर सभी नियम UGC के नियमानुसार होते हैं, वर्तमान में अन्य नियम राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं UGC के नियमों के आधार पर विश्वबिद्यालय की नियम/निर्देश निर्मात्री समिति द्वारा बनाये गये हैं। **Good Academic Record** शब्द की व्याख्या का आधार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियमों के आधार पर प्रस्तावित हैं, परन्तु पूर्व परीक्षाओं की औसत प्रतिशत निकालने में (संलग्न) नियमानुसार अधिक स्पष्टता दी गई है। *(स्थापना शाखा)*

पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 05: गैर शैक्षणिक पदों के संदर्भ में योग्यता एवं भर्ती प्रक्रिया जो राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्यादेशों के अनुसार प्रस्तावित है। जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियम **Silent** हैं, वहां पर इस विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगें (संलग्न दस्तावेज के अनुसार) पर चर्चा।
नोटः राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के संशोधित अध्यादेशों को पूर्व की प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 06.09.2017 में प्रस्ताव संख्या 7.3 पार्ट–III के अनुसार स्वीकार किया गया। *(स्थापना शाखा)*

पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 06: गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु **Scheme Examination/Screening** पर चर्चा। *(स्थापना शाखा)*

पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 07: शैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु **Scheme Examination/Screening** पर चर्चा। *(स्थापना शाखा)*

पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 08: शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु मांगे जाने वाले आवेदन पत्र के प्रारूप पर चर्चा। *(स्थापना शाखा)*
निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि पूरक एजेण्डा संख्या 03 से 08 के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा डॉ. जी.एस. कलवानियां की अध्यक्षता में गठित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में प्रस्तावित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की भर्ती हेतु मानदण्डों, नियमों एवं निर्देशों के निर्धारण के संदर्भ में प्रस्तुत सम्पूर्ण प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाता है।
नोटः पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में प्रस्तावित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की भर्ती हेतु मानदण्डों, नियमों एवं निर्देशों के निर्धारण के संदर्भ में स्वीकृत प्रतिवेदनः

" पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में प्रस्तावित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की भर्ती हेतु मानदण्डों/नियमों/निर्देशों के निर्धारण हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

(प्रस्तुत प्रतिवेदन को प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 06.01.2018 के द्वारा पूरक एजेण्डा संख्या 01 से 08 तक चर्चा करते समय एजेण्डा के साथ शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की भर्ती हेतु मानदण्डों, नियमों एवं निर्देशों के एक सम्पूर्ण दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में प्रस्तावित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की भर्ती हेतु मानदण्डों/नियमों/निर्देशों के निर्धारण हेतु कार्यालय आदेश संख्या एफ. ( ) संस्थापन/7467 दिनांक 21.12.2017 द्वारा निम्नांकित सदस्यों की एक समिति का गठन किया गयाः

1. डॉ. जी.एस. कलवानियां, अध्यक्ष
2. श्री सोहनलाल जाट, सदस्य
3. डॉ. डी.एस. थालौड़, सदस्य (विधि विशेषज्ञ)
4. डॉ. राजेन्द्र जोशी, सदस्य
5. डॉ. मुनेश कुमार, सदस्य (विधि विशेषज्ञ)
6. श्री मुकेश शर्मा, सदस्य (विधि विशेषज्ञ)
7. डॉ. राजेन्द्र सिंह, सदस्य सचिव

समिति के लिए अनुशंषा करने हेतु निर्धारित किए गए विभिन्न बिन्दुः

1. **शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की भर्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी पत्रों का अवलोकन एवं नियुक्ति हेतु प्रस्तावित पदों की संख्या वास्ते विज्ञापन एवं नियुक्ति।**
2. **अशैक्षणिक पदों पर पूर्व में किये गये विज्ञापनों का अध्ययन एवं उनके रोस्टर के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता।**
3. **अशैक्षणिक पदों के पूर्व में किये गये निर्देशों एवं भर्ती के मानदण्डों/प्रक्रिया मय योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में समुचित निर्देश एवं मापदण्ड मय प्रक्रिया के।**
4. **अशैक्षणिक पदों के लिए यदि पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें उसी स्वरूप में प्रस्तावित विज्ञापन के लिए माना जाये, नये आवेदन मंगवाये जाये, पूर्व में जो शुल्क दिया गया है, उसे अभ्यर्थियों को पुनः लौटाया जाये एवं नये आवेदन के साथ नया शुल्क देने को कहा जाये अथवा नये आवेदन के साथ पुराने आवेदनों को नया शुल्क न लेकर के पूर्व शुल्क का संदर्भ देने पर शुल्क में छूट दे दी जाये?**
5. **अशैक्षणिक पदों के संदर्भ में पूर्व विज्ञापन को निरसित माना जाये?**
6. **वर्तमान विधिक परिस्थिति के अनुसार भर्ती मानदण्डों/प्रक्रिया एवं योग्यता का अध्ययन, यू.जी.सी. रेग्युलेशनस, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रस्तावित अध्यादेश तथा पूर्व विज्ञापनों को ध्यान में रखते हुए एक मानदण्डों/प्रक्रिया मय योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में समुचित निर्देश एवं मापदण्ड मय प्रक्रिया के।**
7. **चूंकि विश्वविद्यालय विधि के हिसाब से ट्रांजिटरी व्यवस्थाधीन है तथा प्रस्तावित मानदण्डों/प्रक्रिया एवं योग्यताओं मय स्कीम ऑफ स्क्रीनिंग/परीक्षा के साथ प्रतिवेदन तथा इसे विश्वविद्यालय के किस प्राधिकार मण्डल से पास करवाना प्रस्तावित है?**
8. **अन्य आनुषांगिक बिन्दु, जिस पर समिति सुझाव देना चाहे।**

समिति के सदस्य संबंधित सभी दस्तावेजों का अध्ययन कर निर्देशित बिन्दुओं पर अवलोकन एवं विश्लेषण करके निम्न प्रकार से बिन्दुवार अनुशंषा करते हैं:

1. ***बिन्दु संख्या 01:***

भाग–1: शैक्षणिक पद

(अ.) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के पत्र प.14 (5) शिक्षा–4 / 2012 पार्ट दिनांक 11.12.2017 के द्वारा विश्वविद्यालय को पांच विभाग आवंटित किये गये, जो निम्न सारणी के अनुसार थे:

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्वीकृत पद			कुल पद
		प्रोफेसर	सह–प्रोफेसर	सहायक प्रोफेसर	
1.	इतिहास	1	2	3	6
2.	भूगोल	1	2	3	6
3.	अंग्रेजी	1	2	3	6
4.	गणित	1	2	3	6
5.	राजनीति शास्त्र	1	2	3	6
	कुल पद	5	10	15	30

(ब.) विश्वविद्यालय में विभागों की स्थापना विद्या परिषद् एवं प्रबंध मण्डल के निर्णय से होती है, राज्य सरकार ने जो विभाग अपने पत्र में दर्शाये हैं, वे विद्या परिषद् एवं प्रबंध मण्डल के निर्णयों के अनुरूप नहीं होने से विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार को पत्र संख्या प.स्थापना ( )स्थापना/शैक्षणिक विभाग/ 2017–18/7199 दिनांक 22.11.2017 के द्वारा अवगत करवाया तथा विभागों के नाम विद्या परिषद् एवं प्रबंध मण्डल के निर्णयों के अनुरूप करने के लिए निवेदन किया।

(स.) राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के पत्र संख्या प.स्थापना ( )स्थापना/शैक्षणिक विभाग/ 2017–18/7199 दिनांक 22.11.2017 को ध्यान में रखते हुए एक कोरिजेण्डम पत्र क्रमांक प.14 (5) शिक्षा–4 / 2012 पार्ट दिनांक 11.12.2017 जारी कर निर्देशित कोरिजेण्डम के अनुसार निम्न विभागों का आवंटन एवं पद स्वीकृत किये:

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्वीकृत पद			कुल पद
		प्रोफेसर	सह–प्रोफेसर	सहायक प्रोफेसर	
1.	भारतीय भाषाएं	1	2	3	6

2.	डवलपमेन्टल स्टडीज	1	2	3	6
3.	वाणिज्य विभाग	1	2	3	6
4.	जीवन विज्ञान	1	2	3	6
5.	लीगल स्टडीज	1	2	3	6
	कुल पद	5	10	15	30

अनुशंषाः *भाग–1 के संदर्भ में अनुशंषा की जाती है कि भाग–1 के पद '(स.)' में उल्लेखित पदों को रोस्टर समिति द्वारा विषयानुसार रोस्टर निर्धारित कर उक्त पदों को विज्ञापित किया जाये।*

भाग–2: अशैक्षणिक पद

विश्वविद्यालय को अशैक्षणिक कर्मचारियों के निम्न सारणी के खण्ड 'ब' के अनुसार पद पत्र क्रमांक प.14 (5) शिक्षा–4/2012 पार्ट दिनांक 04.09.2012 के द्वारा आवंटित किये गये हैं, जिन्हें भरने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन क्रमांक Estt./Advt./2013-14/399-404 dated 11.09.2013 (Advertisement No. 01/2013-14) क्रमांक प–14 ( ) /संस्थापन/सीधी भर्ती/2013–14/1025 दिनांक 22.02.2014 (Advertisement No. 02/2013-14) के द्वारा निकाला गया था।

क्र.सं.	पदनाम खण्ड–अ	सृजित पद खण्ड–ब	राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा ग्रुप–4 के पत्र संख्या 14(5) शिक्षा –4/2012 पार्ट/9.6.2017 द्वारा वर्तमान में नियुक्ति के लिए अनुमत पद खण्ड–स
1	कुलपति (संविधिक प्रक्रिया नियुक्ति)	01	संविधिक प्रक्रिया नियुक्ति
2	कुलसचिव (RAS Super Time Scale)	01	प्रतिनियुक्ति
3	वित्त नियंत्रक (RAc Selection Scale)	01	प्रतिनियुक्ति
4	परीक्षा नियंत्रक	01	01
5	उप कुलसचिव	01	01
6	सहायक कुलसचिव	02	02
7	निजी सचिव	01	–
8	अनुभागाधिकारी	02	–
9	निजी सहायक	01	–
10	सहायक लेखाधिकारी (लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति)	01	प्रतिनियुक्ति
11	विधि सहायक (कनिष्ठ विधि अधिकारी)	01	01
12	कनिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति)	02	प्रतिनियुक्ति
13	वरिष्ठ लिपिक	04	–
14	कनिष्ठ लिपिक	10	05
15	वाहन चालक नियमित	02	01
16	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	15	10
17	स्टेनोग्राफर	03	02
18	सूचना सहायक	04	–
	कुल	53	23

खण्ड 'ब' में लिखित विवरणानुसार पदों के स्वीकृत होने के कारण तदनानुसार पूर्व में विज्ञापन किया गया था, परन्तु वर्तमान में भर्ती हेतु पदों की संख्या खण्ड 'स' के अनुसार कम कर दी गई है। चूंकि पद कम हो गये हैं, इसलिए खण्ड 'स' में वर्णित पदों हेतु आरक्षित पदों के रोस्टर का पुनर्निर्धारण आवश्यक है। उक्त सारणी के खण्ड ब में सृजित पदों की संख्या अधिक है। इस खण्ड में मूल सीधी नियुक्ति के पद एवं पदोन्नती दोनों के पद शामिल हैं। पदोन्नती के पदों पर वर्तमान में नियुक्ति/पदोन्नती प्रस्तावित नहीं है। खण्ड ब के संदर्भ में मूल सीधी नियुक्ति के पद पूर्व में विज्ञापित कर दिये गये थे तथा उस समय भर्ती हेतु अनुमत पदों को ध्यान में रखते हुए रोस्टर का निर्धारण किया गया था। वर्तमान में उक्त सारणी के खण्ड स के अनुसार संबंधित पत्र द्वारा राज्य सरकार ने नियुक्ति के लिए पदों की संख्या कुछ पदों पर घटा दी है।

अनुशंषाः *तदानुसार अनुशंषा है कि उक्त सारणी के खण्ड 'स' के पत्र से अनुमत पदों को पुनः विज्ञापित किया जाये तथा चूंकि पदों की संख्या पूर्व में विज्ञापित पदों से कम कर दी गई है, इसलिए आरक्षित पदों हेतु रोस्टर के पुनर्निर्धारण हेतु गठित समिति से रोस्टर का पुनः निर्धारण करवाकर पुनः विज्ञापित किया जाये। इस संदर्भ में लेख है कि पूर्व में आरक्षित पद का रोस्टर वर्तमान विज्ञापन के बाद जिस सीमा तक बदल दिया गया है, उस सीमा तक निरसित समझा जायेगा।*

2. ***बिन्दु संख्या–02:***

अनुशंषाः *समिति ने सभी दस्तावेजों का अवलोकन कर इस संदर्भ में अनुशंषा वर्तमान प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या 1 के भाग 2 के शीर्षक अनुशंषा में अनुशंषा कर दी है, अतः उसके पुनर्रावर्तन की आवश्यकता नहीं है।*

3. ***बिन्दु संख्या–03:***

(अ.) समिति ने पूर्व में विज्ञापित सभी पदों की योग्यता के मानदण्डों एवं प्रक्रिया का अध्ययन किया तथा पाया कि अभिलेखों में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि इनका निर्धारण करते समय किन–किन अध्यादेशों को सुसंगत माना गया है ।

(ब.) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत एक ट्रांजिटरी प्रावधान की व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत जब तक वर्तमान विश्वविद्यालय अपने स्वयं के अध्यादेश नहीं बना लेता है तब तक राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को उस सीमा तक आधार माना जाये जिस सीमा तक वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं। यदि वे जिस सीमा तक अनुरूप नहीं हैं, विश्वविद्यालय अपने नियम बना सकता है।

(स.) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अपने नोटिफिकेशन संख्या एफ. 2 (6) एकेडमिक–I/2016/18118 दिनांक 20.12.2016 के द्वारा अपने योग्यता एवं नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी पूर्व अध्यादेशों में संशोधन कर लिया है, उसे तदानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 06.09.2017 के प्रस्ताव/निर्णय संख्या 06 के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

(द.) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर ने अपने स्टेच्यूट तैयार कर लिये हैं एवं कुलाधिपति जी की सहमति के लिए भेजे हैं तथा अध्यादेशों का प्रारूप तैयार कर विद्या परिषद् से स्वीकार करवा लिया है। प्रबंध मण्डल की बैठक में अनुमोदन के बाद कुलाधिपति जी को सहमति के लिए भेजे जायेंगें।

(य.) राजस्थान विश्वविद्यालय एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में उक्त पदों की योग्यता जहां पर भी अध्यादेश में प्रावधित है, समान है। अतः यदि इस अवधि में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के अध्यादेशों पर सहमति मिल जाती है, तो भी योग्यताओं में अंतर नहीं आयेगा।

अनुशंषा:

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय मोड ऑफ सलेक्शन के जो प्रावधान किये गये हैं, उनको इस बिन्दु के उप पद संख्या 'स' के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा इनका प्रावधान प्रस्तावित अध्यादेशों में भी है। अतः बिन्दु संख्या 03 के उक्त उप पद 'ब' एवं 'स' को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की योग्यताओं को स्वीकार कर तदनानुसार विज्ञापन करने एवं नियुक्ति की प्रक्रिया को अपनाने की अनुशंषा की जाती है।

(2) केन्द्र सरकार ने लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर साक्षात्कार नहीं करने की जो अनुशंषा की है एवं राज्य स्तर पर भी जिसे लागू कर दिया है, के अनुसार लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों के लिए साक्षात्कार नहीं करने की अनुशंषा है।

(3) विभिन्न लिखित परीक्षाओं के लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन/स्क्रीनिंग को संलग्नक के अनुसार लागू करने की अनुशंषा की जाती है। ***(संलग्नक– 1 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन/स्क्रीनिंग)***

(4) *विश्वविद्यालय मानदण्ड और प्रक्रिया के संदर्भ में विस्तृत निर्देश इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।* ***(संलग्नक– 2,3 मानदण्ड और प्रक्रिया)***

नोटः *वर्तमान में जिन पदों पर नियुक्तियां किया जाना प्रस्तावित है, केवल उनका उल्लेख ही वेबसाईट पर किया जाये।*

(5) अशैक्षणिक पदों की भर्ती के लिए संलग्नानुसार आवेदन–पत्र के प्रारूप को स्वीकार करने की अनुशंषा की जाती है। ***(संलग्नक– 4,5 अशैक्षणिक पदों की भर्ती के लिए आवेदन–पत्र के प्रारूप)***

4. ***बिन्दु संख्या–04:***

अनुशंषाएं

(1) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के द्वारा पूर्व में प्रशासनिक अधिकारियों एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के जो भी पद विज्ञापन क्रमांक Estt./Advt./2013-14/399-404 dated 11.09.2013 (Advertisement No. 01/2013-14) क्रमांक प–14 ( ) /संस्थापन/सीधी भर्ती/2013–14/1025 दिनांक 22.02.2014 (Advertisement No. 02/2013-14) के द्वारा विज्ञापित किये गये थे, के संदर्भ में अनुशंषा की जाती है कि वर्तमान में प्रस्तावित विज्ञापन के अन्तर्गत दर्शायी गई पदों की संख्या, आरक्षण का विवरण, भर्ती प्रक्रिया, निर्देशों को ही मान्य एवं स्वीकृत माना जाये। पूर्व विज्ञापन में दी गयी सभी सूचनाओं को निरसित माना जाये।

(2) पूर्व विज्ञापन क्रमांक Estt./Advt./2013-14/399-404 dated 11.09.2013 (Advertisement No. 01/2013-14) क्रमांक प–14 ( ) /संस्थापन/सीधी भर्ती/2013–14/1025 दिनांक 22.02.2014 (Advertisement No. 02/2013-14) के

संदर्भ में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों के स्थान पर नये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायें तथा पूर्व में जमा करवाये गये सभी आवेदन पत्रों को किसी भी हेतु से मान्य नहीं माना जाये।

(3) यदि किसी भी अभ्यर्थी ने पूर्व विज्ञापन के आधार पर प्रोसेसिंग फीस अथवा देय कोई भी शुल्क जमा करवाया है तो उसे वर्तमान प्रस्तावित आवेदन पत्र के उद्देश्य से वैध माना जाये। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः प्रोसेसिंग फीस अथवा अन्य देय शुल्क जमा नहीं करवाना होगा, परन्तु इस प्रावधान का लाभ तब ही मिलेगा, जब वर्तमान आवेदन पत्र में शुल्क के लिए निर्धारित कॉलम में पूर्व में प्रदत किये गये शुल्क की लिखित में सूचना दी जाती है। परन्तु अभ्यर्थी को नया आवेदन प्रस्तुत करना ही होगा।

5. ***बिन्दु संख्या–05:***

अनुशंषा: *अशैक्षणिक पदों के संदर्भ में पूर्व में किये गये विज्ञापन एवं उसके सभी प्रावधानों एवं शर्तों को सिवाय प्रोसेसिंग फीस एवं देय शुल्क के अलावा निरसित माना जाये।*

6. ***बिन्दु संख्या–06:***

अनुशंषाएं:

(1) शैक्षणिक पदों की योग्यता का निर्धारण यू.जी.सी. एवं अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने इन्हीं मानदण्डों को मानते हुए शिक्षकों के विभिन्न पदों के लिए योग्यता का निर्धारण किया है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर पर भी यदि विश्वविद्यालय के अधिनियम से असंगत न हो, उस सीमा तक प्रभावी हैं। तत्पश्चात यू.जी.सी. ने सन् 2016 में कुछ संशोधन किये, जिन्हें बाध्यकारी होने के कारण देश के सभी विश्वविद्यालयों ने स्वीकार कर लिया है, तदानुसार ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर ने अपने अध्यादेशों का प्रारूप तैयार किया है, इनमें एकरूपता है। अतः संलग्न संलग्नक के अनुसार इसे स्वीकार कर इन मानदण्डों, योग्यता, प्रक्रिया के अनुसार विज्ञापित करने की अनुशंषा की जाती है। इस संदर्भ में लेख है कि नियुक्ति समिति की रचना राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी नियुक्ति अधिनियम, 1974 के अनुसार की जाती है। ***(संलग्नक– 6)***

(2) 'गुड एकेडमिक रिकॉर्ड' शब्द को परिभाषित करने का अधिकार यू.जी.सी. द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय को दिया गया है, अतः उपरोक्त संलग्नक में दी गयी परिभाषा को स्वीकार करने की अनुशंषा की जाती है।

(3) एकेडमिक रिकॉर्ड की गणना के संदर्भ में भी राजस्थान विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश को ही स्वीकार किये जाने की अनुशंषा है।

(4) अन्य प्रावधान जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश में नहीं दिये गये हैं, उनके लिए उपरोक्त संलग्नक 6 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया अपनाने की अनुशंषा की जाती है।

(5) स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अथवा लिखित परीक्षा के लिए एक योजना इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जा रही है। ***(संलग्नक– 7 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन)***

(6) शैक्षणिक पदों की भर्ती के लिए संलग्नानुसार आवेदन–पत्र के प्रारूप को स्वीकार करने की अनुशंषा की जाती है। ***(संलग्नक– 8 शैक्षणिक पदों की भर्ती के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप)***

(7) शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए जहां मात्र साक्षात्कार द्वारा ही भर्ती किया जाना प्रस्तावित है, वहां पर शोर्टलिस्टिंग के लिए यदि कोई लिखित में स्क्रीनिंग परीक्षा ली जाती है, तो उसके अंक नियुक्ति के प्रयोजन से साक्षात्कार के समय मान्य माने नहीं जायेंगें। नियुक्ति साक्षात्कार के आधार पर ही होगी।

7. ***बिन्दु संख्या–07:***

(1) इस संदर्भ में अनुशंषा पूर्व पदों में कर दी गयी है, अतः इस पर पुनः अनुशंषा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जहां तक अध्यादेश का प्रश्न है, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादशों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार योग्यता के मानदण्डों को अपनाने एवं प्रक्रिया को स्वीकार करने की अनुशंषा की गयी है। जो प्रावधान राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के भाग नहीं हैं एवं सामान्य परिपत्रों/नोटिफिकेशन के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं, को भी संलग्नक 6 में अतिरिक्त स्पष्टता के रूप में शामिल कर लिया गया है।

(2) चूंकि यह प्रस्ताव राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेशों पर आधारित है, अतः वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर पर स्वतः लागू हो जाती है। जहां अध्यादेश मौन होते हैं, उनके नियमों को प्रबंध मण्डल द्वारा पारित करवाया जाना प्रस्तावित है। अतः सभी दस्तावेज/ अनुशंषाएं प्रबंध मण्डल से अनुमोदित किया जाना प्रस्तावित है।

8. ***बिन्दु संख्या–08:***

(1) यह कि डिर्पाटमेन्ट ऑफ डवलपमेन्टल स्टडीज का नाम डिपार्टमेन्ट ऑफ इकॉनोमिक्स एवं डवलपमेन्टल स्टडीज रखा जाये तथा इसी नाम से डिर्पाटमेन्ट की स्थापना की जाये।

(2) जीवन विज्ञान विभाग में प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र दोनों विषयों में स्नातकोत्तर उपाधियों का अध्ययन प्रस्तावित है, अतः इनके पदों का विभाजन निम्न सारणी अनुसार किया जावे:

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्वीकृत पद			कुल पद
		प्रोफेसर	सह–प्रोफेसर	सहायक प्रोफेसर	
1.	जीवन विज्ञान विभाग	1	2	3	6
(a)	प्राणी शास्त्र	1	1	1	3
(b)	वनस्पति शास्त्र	0	1	2	3

(3) यह कि भारतीय भाषाएं विभाग में हिन्दी भाषा की अनुशंषा की जाती है तथा हिन्दी विभाग नाम से डिर्पाटमेन्ट की स्थापना की जाये।

(4)** सहायक प्रोफेसर के पद के लिए स्क्रीनिंग (लिखित) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम संलग्नानुसार अनुशंषा की जाती है। **(संलग्नक– 9 सहायक प्रोफेसर के पद के लिए स्क्रीनिंग (लिखित) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम)"

टेबल एजेण्डा:

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 01: विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति के प्रतिवेदन का अनुमोदन। (संलग्नक–1) ***(सम्पदा विभाग)***

निर्णय: सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि विश्वविद्यालय के कटराथल परिसर पर आवंटित भूमि पर परिसंपतियों के निर्माण के विषय में प्रस्तावित प्रशासनिक भवन मय कुलपति सचिवालय, कुलसचिव सचिवालय, परीक्षा विभाग, पांच मिटिंग/कॉन्फ्रेंस हॉल के संदर्भ में विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 05.01.2018 के द्वारा लिये गये निर्णयों एवं अनुशंषाओं (जिन्हें विश्वविद्यालय के पत्रांक 7422 दिनांक 05.01.2018 के द्वारा जारी किया गया है) एवं एजेण्डा निर्णय संख्या 01 से 03 तक में स्वीकार एवं अनुशंषित किया गया है। उन सबको प्रबंध मण्डल स्वीकार करता है।

नोट: विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति के प्रतिवेदन पर आधारित निर्णयों एवं अनुशंषाओं का स्वीकृत दस्तावेज:

" बिल्डिंग कमेटी (भवन निर्माण) की बैठक दिनांक 05.01.2018 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की बिल्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 05.01.2018 को दोपहर 03:00 बजे आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति इस प्रकार रही:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	धारित पद
1.	प्रो0 बी.एल. शर्मा	माननीय कुलपति महोदय	अध्यक्ष
2.	श्री प्रहलाद सिंह	अधिशाषी अभियंता, पीडब्लयूडी, खण्ड–सीकर	सदस्य
3.	डॉ. एस.एस. चौहान	पूर्व निदेशक, पर्यावरण विभाग, इंदिरा गांधी अध्ययन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सदस्य
4.	प्रो.ए.के.गुप्ता	विभागाध्यक्ष, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विभाग, एम. बी. इंजीनियरिंग कॉलेज, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	सदस्य
5.	श्री अनिल कुमार गुप्ता	अधिशाषी अभियंता, पीडब्लयूडी एवं वर्तमान प्रतिनियुक्ति इंजीनियर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सदस्य
6.	डॉ. राजेन्द्र सिंह	कुलसचिव	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम मा. कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार मिटिंग के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

1. ***विश्वविद्यालय की बिल्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 11.10.2017 के कार्यवृत का अनुमोदन।***

निर्णयः *सर्वानुमति से विश्वविद्यालय की बिल्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 11.10.2017 के कार्यवृत का अनुमोदन किया जाता है।*

2. ***विश्वविद्यालय के प्रस्तावित प्रशासनिक भवन मय कुलपति सचिवालय, कुलसचिव सचिवालय, परीक्षा विभाग, सैलर एवं पांच मिटिंग/कॉन्फ्रेंस हॉल के यू.आई.टी. द्वारा स्वीकृत नक्शे डिजायन एवं प्लान की मंजूरी की स्वीकृति।***

निर्णय *: सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि:*

(i) *पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रस्तावित प्रशासनिक भवन मय कुलपति सचिवालय, कुलसचिव सचिवालय, परीक्षा विभाग, सैलर एवं पांच मिटिंग/कॉन्फ्रेंस हॉल के संदर्भ में नगर विकास न्यास, सीकर के द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित एवं अनुमत प्रस्तावित भवन एवं इसके आनुषांगिक के नक्शे, प्लान एवं डिजायन को संलग्न संलग्नकों के अनुसार स्वीकार किया जाता है।*

संलग्नकः 1. मास्टर प्लान का नक्शा

2. एलिवेशन का नक्शा

3. सेक्शन XX' एवं सेक्शन YY' का नक्शा

4. बेसमेन्ट का प्लान

5. ग्राउंड फ्लोर का प्लान

6. प्रथम तल का प्लान

7. द्वितीय तल का प्लान

8. टेरिस का प्लान

नोटः प्रशासनिक भवन के अतिरिक्त कुलपति सचिवालय, परीक्षा विभाग, सैलर, पांच मिटिंग/कॉन्फ्रेंस हॉल इत्यादि सभी विभागों का समावेश प्रशासनिक भवन के साथ इसलिए किया गया है कि प्रथम, विश्वविद्यालय के पास आवंटित भूमि आज की दिनांक में मात्र 22 एकड़ है। इसलिए सभी विभागों के लिए अलग-अलग भूमि उपलब्ध नहीं है। द्वितीय, एक ही बिल्डिंग में प्रस्तावित भवन होने से कार्य कुशलता एवं कार्य का साम्यक निष्पादन तुरन्त एवं प्रभावी तरीके से हो पायेगा। इस बात का उल्लेख पूर्व की बैठक में भी हो चुका है एवं तदानुसार ही संयुक्त भवन बनाने का प्रस्ताव तैयार कर नक्शे एवं प्लान बनाये गये हैं।

3. ***आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तावित प्रशासनिक भवन के प्लान एवं नक्शे बनाने के बाद तय की गई अनुमानित राशि पर पुनर्विचार।***

निर्णय *: सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि:*

(i) *पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रस्तावित प्रशासनिक भवन मय कुलपति सचिवालय, कुलसचिव सचिवालय, परीक्षा विभाग, सैलर एवं पांच मिटिंग/कॉन्फ्रेंस हॉल के सिविल वर्क एवं अन्य आनुषांगिक खर्चों के लिए प्रेषित पत्रानुसार 26,39,98,192.82 रूपये के रिवाईज्ड प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है।*

नोट *1: आर.एस.आर.डी.सी. ने पूर्व में निम्न संभावित खर्च स्वीकार किया था:*

(अ.) *प्रशासनिक भवन के लिए 1701.07 लाख रूपये,*

(ब.) *परीक्षा विभाग के लिए 1461.39 लाख रूपये,*

(स.) *कुलपति सचिवालय के लिए 567.03 लाख रूपये,*

कुल अनुमानित व्ययः 3729.49 लाख रूपये

नोट 2: उक्त विवरण में सैलर, छोटे-बड़े पांच मिटिंग/कॉन्फ्रेंस हॉल शामिल नहीं थे।

(ii) *यदि प्रशासनिक भवन में परीक्षा विभाग, कुलपति सचिवालय, सैलर, छोटे-बड़े मिटिंग/कॉन्फ्रेंस हॉल साथ में बनवा दिये जाते हैं, इनके लिए बाद में अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान में बी.एस.आर. रेट के हिसाब से जनरल असेसमेन्ट 26,39,98,192.82 रूपये का प्लान बनाने के बाद दिया गया है, जो मात्र प्रशासनिक भवन, परीक्षा विभाग एवं कुलपति सचिवालय के अनुमानित व्यय से 10,89,50,807.18 रूपये कम है। इस अनुमान के बाद भी प्रस्तावित भवन में सैलर, मिटिंग/कॉन्फ्रेंस हॉल अतिरिक्त होंगे।*

(iii) *राज्य सरकार ने बजट मद 2202-03-0102-13-00-93 पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को 2017-18 में रू0 12.50 करोड़ स्वीकृत किये हैं। अतः राज्य सरकार से बाद में प्राप्त होने वाली किश्तों से पूर्व विश्वविद्यालय की निजी आय से इस खर्च को*

कर दिया जाये, जिससे भवन निर्माण समय पर पूरा हो सके एवं बाजार–भाव बढ़ने से बढ़ने वाले खर्च से जितना संभव हो, उतना बचा जा सके। जब राज्य सरकार से किश्त मिले तब राज्य सरकार से प्राप्त राशि का विश्वविद्यालय से उठायी गयी राशि से समायोजन कर दिया जाये।

(iv) इस संदर्भ में रिवाईज्ड अनुमानित व्यय को वास्ते आगे की कार्यवाही राज्य सरकार को भेजी जाये।

(v) यदि किन्हीं कारणों से राज्य सरकार से पूर्ण राशि नहीं मिलती है, तो शेष खर्च को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय की निजी आय से खर्च किये जाने की अनुशंषा की जाती है। (विश्वविद्यालय की स्टेण्डिंग कमेटी की वर्तमान एजेण्डा निर्णय 03 (iv) एवं (v) को प्रबंध मण्डल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।)"

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 02: सत्र 2018–19 के लिए विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र के प्रारूप का अनुमोदन। (संलग्नक–2)

निर्णय: विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष की भांति विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन–पत्र के प्रारूप को स्वीकार किया जाता है तथा यह भी निर्धारित किया जाता है कि उक्त आवेदन–पत्र को डिजिटल पद्धति अनुसार ऑनलाईन किया जाये तथा अध्यापकों के आधार कार्ड नम्बर एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं को आवेदन–पत्र के साथ सम्बद्धता नियमों की आवश्यकतानुसार लिया जावे।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 03: इस विश्वविद्यालय द्वारा UGC (Affiliation of colleges by University) Regulation, 2009 को स्वीकार करना। (संलग्नक–3 UGC (Affiliation of colleges by University) Regulation, 2009) ***(सम्बद्धता/विधि विभाग)***

निर्णय: भारत में स्थित विश्वविद्यालयों के द्वारा महाविद्यालय को सम्बद्धता देने हेतु नियामक संस्था के रूप में यू. जी.सी. द्वारा विनियम UGC (Affiliation of colleges by University) Regulation, 2009 को स्वीकार करना। (एजेण्डा के साथ प्रस्तुत संलग्नक–3) के द्वारा किया गया है। जिसे भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 20 फरवरी, 2010 को प्रकाशित किया गया है। इन्हीं विनियमों को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय सम्बद्धता नियम के शीर्षक के द्वारा स्वीकार किया गया है। वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा जब तक इस संदर्भ में अपने नियम नहीं बना दिये जाते हैं, तब तक विश्वविद्यालय के अधिनियम के ट्रांजिटरी प्रोविजन के अनुसार उक्त नियमानुसार सम्बद्धता कार्य का संपादन किया जा रहा है। अतः प्रबंध मण्डल द्वारा सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि **UGC (Affiliation of colleges by University) Regulation, 2009** को यथावत सम्बद्धता के प्रयोजन से सम्बद्धता नियमों के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा इस दस्तावेज का नाम **Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar (Affiliation of colleges by University) Regulations, 2018** होगा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा स्वीकृत

"PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA SHEKHAWATI UNIVERSITY, SIKAR [AFFILIATION OF COLLEGES BY UNIVERSITIES] REGULATIONS, 2018

Whereas *in exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of Sub-Section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the UGC made the Regulations, namely the UGC [AFFILIATION OF COLLEGES BY UNIVERSITIES] Regulations, 2009.*

Whereas, *in exercise of the power to enact Regulations/Rules for regulating the procedure for Affiliation of Colleges by University, the University of Rajasthan enacted (Regulations on the basis of the UGC [AFFILIATION OF COLLEGES BY UNIVERSITIES] Regulations, 2009): the Rajasthan University Affiliation*

Rules and the procedure to regulate affiliation the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar is a subject to the provisions of the Rajasthan University Affiliation Rules as provided in Section 49 of the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar Act, 2012 until the University enacts its own Regulations for affiliation.

Whereas, *the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar makes the following Regulations for affiliation of colleges/institutions by the University:*

1. ***Short Title, Application and Commencement:***

1.1 These Regulations may be called the Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2018.

1.2 They shall apply to all colleges seeking affiliation and already affiliated to Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar, by a State Act.

1.3 They shall come into force with immediate effect.

2. ***Definitions: In these Regulations:***

2.1. "affiliation" together with its grammatical variations, includes, in relation to a college, recognition of such college by, association of such college with, and admission of such college to the privileges of, a university;

2.2. "college" means any institution, whether known as such or by any other name which provides for a programme of study beyond 12 years of schooling for obtaining any qualification from a university and which, in accordance with the miles and Regulations of the university, is recognized by the UGC as competent to provide for such programme of study and present students undergoing such programme of study for the examination for the award of such qualification;

2.3 "Commission" means the University Grants Commission established under the UGC Act;

2.4 "course" means one of the units which comprise a programme of study.

2.5. "programme" / "programme of study" means a higher education programme pursued for a degree specified by the Commission under Section 22(3) of the UGC Act;

2.6. "Statutory/Regulatory body" means a body so constituted by a Central/State Government Act for setting and maintaining standards in the relevant areas of higher education, such as All India Council for Technical Education (AICTE), National Council for Teacher Education (NCTE), Bar Council of India (BCI), etc.;

2.7. "Student" means a person admitted to and pursuing a specified programme of study;

3. ***Eligibility Criteria for Temporary Affiliation:***

3.1 The proposed college seeking affiliation, at the time of inspection by the university, shall satisfy the following requirements, or the requirements in respect of any of them prescribed by the Statutory/ Regulatory body concerned, whichever is higher:

3.1.1 undisputed ownership and possession of land measuring not less than 2 acres if it is located in metropolitan cities, and 5 acres if it is located in other areas;

3.1.2. administrative, academic and other buildings with sufficient accommodation to meet the immediate academic and other space requirements as specified by the University concerned for each of the higher education course/programme with adequate scope for future expansion in conformity with those prescribed by the UGC/Statutory/ Regulatory body concerned, taking care that all buildings constructed in the college are disabled friendly;

3.1.3 academic building sufficient to accommodate the faculties, lecture/seminar rooms, library and laboratories with a minimum of 15 sq. ft. per student in lecture/seminar rooms/library and 20 sq. ft per student to each of the laboratories;

3.1.4 number of leaching and. non-teaching staff as per University norms;

3.1.5 adequate civic facilities for essentials like water, electricity, ventilation, toilets, sewerage, etc. in conformity with the nouns laid down by the Central/ State PWD;

316. a library with at least 1000 books, or 100 books in different titles on each subject, whichever is more, of the proposed programmes to include both text books and reference books, besides two journals per subject, along with a book bank facility for students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other sections as may be specified by the UGC from time to time,

3.1.7. Necessary laboratory equipments as prescribed by the University/Statutory/ Regulatory body concerned, for each of the higher education programmes;

3.1.8. a multi-purpose complex / an auditorium and facilities for sports, canteen, health care, separate common rooms and separate hostels for boys and girls as per the local requirements as decided by the University;

3.1.9 appropriate furniture for lecture/seminar rooms, laboratories, library, faculty rooms, rooms for administrative staff including the Principal, multi-purpose complex / auditorium, common rooms and hostel rooms, and for oilier facilities;

3.1.10. to duly constituted managing body as specified by the University.

3.2 The college, if not run by the State Government,

3.2.1. shall be managed by a duly constituted and registered Society or Trust:

3.2.2 shall satisfy the University that adequate financial provision is available for running the college for at least three years without any aid from any external source. In particular, it shall produce evidence of creating and maintaining a Corpus Fund permanently in the name of the college by way of irrevocable Government Securities of Rs. 15 lakh per programme, if the college proposes to conduct programme only in Arts, Science and Commerce, Rs. 35 lakh per programme or as prescribed by the relevant Statutory/Regulatory body, if it proposes to offer professional programmes, or FDRs for like amounts jointly held by the college and the University for a minimum lock in period of three years. The interest accrued out of it may be utilized by the college with the prior permission of the University for strengthening the infrastructure facilities.

3.2.3. shall also provide an undertaking to the University that it has adequate recurring income from its own resources for its continued and efficient functioning.

3.3 The Registered Society/Trust in justified exceptional cases may be allowed to start the college for the first year of the programmes in a readily available building, with the condition that all other academic and administrative requirements are satisfied under the Regulations and the college shall complete the buildings per para 4.4.6 and other requirements cited in the detailed project report by the end of the-second year and the college is moved completely to the proposed permanent building by the beginning of the third year, failing which the college shall not be granted renewal of temporary affiliation until the college moves to the permanent buildings. Under no circumstances, extension of time for this movement to the permanent building shall be granted by the University beyond five years.

3.4 The Registered Society/ Trust proposing the college shall execute a bond:

3.4.1 *to impart instruction only in the subjects and for the courses/programmes in the faculties for which affiliation has been granted by the University and shall not seek retrospective affiliation. All such courses/programmes shall follow the syllabi approved by the appropriate academic bodies of the University,*

3.4.2 *to comply with all the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances, Regulations and Regulations of the University framed in this regard;*

3.4.3 *to follow the Regulations, Regulations and Guidelines of the Statutory /Regulatory bodies issued from time to tune;*

3.4.4 *to effect that the number of teaching posts, the qualification of teaching staff and their recruitment/ promotion procedures as prescribed by the UGC and conditions of service shall be in accordance with the Statutes/Ordinance./ Regulations of the University/State Government/ UGC, and shall ensure imparting of adequate instruction to the students in the courses/programmes of studies to be undertaken by the college and that the Student-Teacher Ratio in the college shall he as per the UGC norms;*

3.4.5 *to the effect that the members of the teaching and note teaching staff shall be regularly and fully paid in the pay scales along with applicable allowances as per the pay scales prescribed by the UGC/Central/State Govt., as the case may be, from time to time.*

3.4.6 *to the effect that appointment of members of the teaching and the non-teaching staff shall be made only on consideration of merit based on qualifications and experience prescribed for them and not by demanding or accepting any donation or other consideration;*

3.4.7 *to the effect that the college shall obtain the eligibility approval of the appointed teaching staff from the University within three months of affiliation and shall report all changes in the teaching staff and all other changes that may affect the fulfillment of the conditions for affiliation to the University within a fortnight of changes coming into effect.*

3.4.8 *to the effect that all fees to be charged from the students shall be as per the fee structure approved by the University based on the norms of the UGC from time to time;*

3.4.9 *to the effect that the college shall not collect any capitation fee or donation in any form amounting to corrupt practices from or on behalf of any of its students or their parents/guardians except, the prescribed fee and other charges as approved by the University based on the norms of the UGC;*

3.4.10 *to the effect that no student shall be admitted to any programme of study by the college in anticipation of grant of affiliation or in excess of the number of seats sanctioned per programme of study by the University;*

3.4.11 *to the effect that the college shall not, without the previous permission of the University, suspend offering an already approved Course/programme of study;*

3.4.12 *to the effect that the academic and welfare activities, of the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tits and other disadvantaged groups, including minorities, wherever applicable, shall be properly taken care of by the college:*

3.4.13 *to the effect that all registers and records, including, audited statement of accounts, as required to be maintained under the Regulations orders of the UGC/University/ Government shall be maintained and made available as and when required for inspection;*

3.4.14 *to the effect that the college shall furnish all such returns and other information as the UGC/University/Government may require to enable it to monitor and judge the performance of the college with regard to maintenance of academic standards and shall take such action as the UGC / University / Government may direct to maintain the same;*

4. *Procedure for granting Temporary Affiliation:*

4.1 The application to start a new college and to get it affiliated to an University can be submitted by Central/ State Government institutions and Registered Society/Trust.

4.2 If the applicant is a Society/Trust, it shall have been registered under Registration of Societies Act, the Trusts Act or any other Act of the Central / State Government on or before the date of submission of the application.

4.3 The Government / Society/ Trust which proposes to start the college and wishes to get it affiliated to the University in whose jurisdiction the location of college falls shall make an application within the stipulated time to the University in the prescribed proforma along with the prescribed fee in the form of Demand Draft drawn in favour of the Registrar of the University.

4.4 The application shall be submitted with certified copies of the following documents:

4.4.1 Registration of the Society/Trust along with the details of Constitution and Memorandum of Association;

4.4.2 Letter from the Competent Authority designated by the Government concerned for Classification of land and its location as Metropolitan or other areas;

4.4.3 Land Use Certificate from the Competent Authority designated by the Government concerned;

4.4.4 Registered land/Govt. leased land documents in the name of the applicant,

4.4.5 Appropriate order from the Govt. permitting the Society/Trust to start the college with details of the courses/programmes intended to be offered.

4.4.6 Building Plan of the proposed college prepared by a registered Architect and approved by the Competent Authority designated by the Govt. concerned;

4.4.7 Registered documents by the registered Society/Trust earmarking land and building for the proposed course;

4.4.8 Details of the latest fund position along with photocopies of relevant bank accounts, including the evidence of the Corpus Fund earmarked for the purpose as specified under Clause 3.2.2.

4.4.9 Detailed Project Report giving

a) background of the Society/Trust with reference to its experience in promoting, managing and operating educational institutions; details of its promoters including their background; its activities in the social, charitable and educational spheres since its inception and its Vision and Mission;

b) development plan for the college with timeline, spelling out its growth plan over the first 10 year period in terms of phasing of academic programmes, increase in students' intake and introduction of postgraduate programmes/ research, and the time schedule for stage-wise development of the academic infrastructure, like recruitment of faculty, and other support facilities, including student amenities, such as hostels, sports and recreational facilities.

c) architectural master plan indicating the land use pattern including those for the future;

d) policy with regard to faculty recruitment, retention and development;

e) structure of academic and administrative governance;

f) sources of financing of capital and operating expenditure, besides funds to be generated through students' fees; and

g) resource projections and their utilization schedule.

4.5 *The University shall make a preliminary scrutiny of the application, and if found satisfactory, issue a letter of intent, within two weeks from the date of receipt of the application by the University, to cause an inspection within a period of three months for physical verification of all requisites necessary for the affiliation.*

4.6 *The college shall be subjected to an inspection by the University through a committee of experts nominated by the Vice chancellor consisting of:*

4.6.1. One Expert for each of the subject areas proposed for UG and in PG Subject expert,

4.6.2 Coordinator/Dean, College Development Council/an equivalent academician of the university, and

4.6.3 One of the subject experts at the level of Professor, as nominated by the Vice Chancellor, shall be the Chairperson of the Committee.

***Proviso:** Provided that Vice-Chancellor shall have power to nominate one expert as the Chairman of the Committee of a teacher who has served as a full-time permanent teacher in the pay scale decided by the UGC and served as a teacher for a period not less than eight years in the service as the teacher.*

4.7 *The report of the inspection committee shall he submitted by the Chairperson to the University duly filled in and signed by all the members. The University shall process the report through its appropriate Bodies and decide to grant, or not to grant, temporary affiliation to the college, recording the reasons in writing for its decision within three months of inspection.*

4.8 *On the basis of the infrastructure and other facilities available at the college, the University shall decide the number of seats for each programme in the college.*

4.9 *The Board of Management of the University shall be the ultimate to decide granting, or not granting, affiliation.*

4.10 *Continuation of temporary affiliation of the programmes of study and the college itself shall be granted by the University on a year to year basis through inspection process prescribed in these Regulations.*

4.11 *If the University decides not to grant affiliation to the college for reasons, recorded in writing, of its failure to meet the conditions/requirements for getting affiliation, the college may apply again if it fulfills the conditions/requirements subsequently, but not earlier than six months from the date of rejection or its earlier application.*

5. *Eligibility Criteria for Permanent Affiliation:*

5.1 *The college shall have completed at least five years of satisfactory performance after getting temporary affiliation and attained the academic and administrative standards as prescribed by the University/UGC/Statutory/Regulatory Body concerned from time to time.*

5.2 *The college shall have completed construction of buildings and all infrastructure/facility as stipulated in these Regulations.*

5.3 *All the teaching and non-teaching staff are appointed on permanent (appointed on regular basis, in case of a Government college) on the UGC/Government scales of pay,*

5.4 *The college shall have a duly constituted College Council as per the norms.*

6. *Procedure for granting Permanent Affiliation:*

6.1. *A college which wishes to get permanent affiliation shall apply to the University any time after completing five years of temporary affiliation in the proforma along with the prescribed fee in the form of Demand Draft drawn in favour of the Registrar of the University.*

6.2 *The procedure for according/awarding permanent affiliation shall be the same as for granting temporary affiliation given in the Regulations.*

6.3. *If the University decides not to grant permanent affiliation to the college for reasons, to be recorded in writing, of its failure to meet the conditions/requirements for getting such affiliation, the college may apply again if it fulfills the conditions/requirements subsequently, but not earlier than six months from the date of rejection of its earlier application.*

7. ***Eligibility to apply for addition of new programmes of study:***

7.1. *Any proposal for adding new programmes shall be considered by the University only after ensuring equitable distribution of facilities for higher education, having due regard, in particular, to the needs of the unserved, underdeveloped, rural, hilly, tribal and backward areas within its jurisdiction,*

7.2 *Any proposal for raising the existing under-graduate college to post-graduate studies level shall he considered by the University only after satisfactory completion of two years of the under-graduate programme and the proposed buildings, qualified faculty and other infrastructure facilities are fully created as per the Regulations.*

7.3 *Each application for addition of a new programme or for upgrading the existing programme to post-graduate level shall be accompanied by the prescribed fee in the form of Demand drafts drawn in favour of the Registrar of the University.*

7.4. *The procedure for according/awarding temporary affiliation to additional programmes of study or for upgrading the existing programmes in the college shall be the same as prescribed under the Regulations for temporary affiliation.*

8. ***Withdrawal of affiliation:***

8.1. *The privileges conferred on a college by affiliation may be withdrawn in part or in full, suspended or modified, if the college, on due enquiry, is found to have failed to comply with any of the provisions of the Act, the Statutes, the Ordinances, the Regulations and Regulations or any other direction or instruction of the UGC/University/Statutory/ Regulatory body concerned, or failed to observe any of the conditions of affiliation, or has conducted itself in a manner prejudicial to the academic and administrative standards and interests of the University.*

8.2. *If an affiliated college ceases to function or is shifted to a different location or is transferred to a different Society, Trust, individual or a group of individuals without the prior approval of the University, the affiliation granted to the college shall lapse automatically on such ceaser, shifting or transfer, as the case may be, and it shall he treated as a new college for the purposes of future affiliation. The University/Government shall have the duty to alleviate the educational future of the affected students in an appropriate manner as per its decision.*

8.3. *Without prejudice to the Regulations, the Commission on its own, or on the basis of any complaint or any other information or report from any other source, can cause an enquiry by the University in respect of a college, and after giving the college a reasonable opportunity of being heard, may pass an order under Section (12A) (4) of the UGC Act prohibiting such college from presenting any student then undergoing such specified course/programme of study therein to an university for the award of the qualification concerned and the affiliations of the college shall stand terminated as per Section (12A) (5) of the UGC Act,*

8.4 *If the University decides to withdraw the affiliation of the college, or the affiliation stands terminated by the order of the University, temporarily or permanently, such decision shall not affect the interests of the students of the college who were on its rolls at the time of issue of the order till they pass out the normal duration of programmes to which they are registered at that time. The University/Government shall have the duty to alleviate the educational future of the affected students in an appropriate manner as per its decision.*

9. ***Penalties on the Universities granting affiliation to sub-standard colleges or failure of Universities/colleges to comply with the Regulations of Commission:***

9.1 If any University grants affiliation to a college which does not fulfill the conditions/ requirements for affiliation as per the Regulations, or if the University grants affiliation in contravention of the relevant provisions of the UGC Act and Regulations, the Commission may take such action as it may deem fit, including that of withholding the grants to the University and/or delisting the said University from the list of universities maintained by the Commission under Section 12B of the UGC Act.

9.2 If any college included under section 2(f) and receiving UGC Grants under section 12B is found guilty of violation of the Regulations, the Commission may take such action as it may them fit, including that of withholding the grants to the college and/or delisting the said college from the list of colleges maintained by the Commission under Sections 2(f) and/or 12B of the UGC Act. "

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 04: राजभवन के पत्र क्रमांक एफ. 1 (38) आरबी/2015/6462 दिनांक 21.08.2016 के अनुसार विश्वविद्यालय में मानदेय एवं पारिश्रमिक की दरें तथा विद्यार्थियों द्वारा दिया जाने वाला परीक्षा शुल्क का अनुमोदन। ***(परीक्षा एवं लेखा विभाग)***

निर्णयः सर्वानुमति से राजभवन के पत्र क्रमांक एफ. 1 (38) आरबी/2015/6462 दिनांक 21.08.2016 के अनुसार विश्वविद्यालय में मानदेय एवं पारिश्रमिक की दरें तथा विद्यार्थियों द्वारा दिया जाने वाला परीक्षा शुल्क को स्वीकार किया जाता है। इन दरों का विश्वविद्यालय के प्रस्तावित अध्यादेश में भी समावेश किया गया है तथा नोटिफिकेशन के द्वारा ये दर समय-समय पर लागू की जायेंगी। **(संलग्नकः राजभवन के पत्र क्रमांक एफ. 1 (38) आरबी/2015/6462 दिनांक 21.08.2016 की प्रतिलिपि)**

एजेण्डा बिन्दु संख्या 04: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

1. **विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015-16 एवं 2016-17 में करवाये गये सभी पूनर्मूल्यांकनों में शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के अंक बढ़ने एवं जहां निर्धारित नम्बर से ज्यादा का अंतर है, तो तृतीय परीक्षक से उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं करवाने बाबत्।** ***(परीक्षा विभाग)***

   निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि निम्न गठित समिति द्वारा जांच करवाई जाये:

   1. डॉ. आर. एल. मिश्रा, अध्यक्ष
   2. डॉ. एम. एस. पूनिया, सदस्य

2. **प्रोफेशनल कोर्स (बी.बी.ए., बी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए.) हेतु अक्षय निधि निर्धारण एवं इन पाठ्यक्रमों को प्लेसमेन्ट के हेतु से प्रभावी न होने के कारणों एवं प्रभावी बनाये जाने हेतु सुझाव पर चर्चा।** ***(अकादमिक विभाग)***

   निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि निम्न गठित समिति द्वारा जांच करवाई जाये:

   1. डॉ. सोमकान्त भोजक, अध्यक्ष
   2. डॉ. डी. एस. थालौड़, सदस्य

   नोटः इस तथ्य की भी जांच की जायेगी कि जब प्रोफेशनल कोर्स आते हुए भी बी.एड., एम.एड. के लिए अक्षय निधि की राशि बी.सी.ए., एम.सी.ए. एवं पी.जी.डी.सी.ए. से ही नहीं बल्कि सामान्य एकेडमिक पाठ्यक्रमों से कैसे कम निर्धारित की गई।

3. **परीक्षा केन्द्र देते समय एक निर्देशात्मक मापदण्ड का निर्धारण।** ***(परीक्षा विभाग)***

निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय किया गया कि यद्यपि परीक्षा केन्द्र आवंटन के निर्णय के संदर्भ में दूरी, कानून–व्यवस्था, संसाधनों की उपलब्धता, केन्द्र का रिकॉर्ड, यातायात इत्यादि कई तथ्यों का ध्यान रखना होता है। फिर भी एक निर्देशात्मक नीति के रूप में निम्न प्राथमिकता का भी ध्यान रखा जाये:
प्रथम, विश्वविद्यालय परिसर एवं विभाग, द्वितीय, सरकारी महाविद्यालय, तृतीय, ऐसे निजी महाविद्यालय जो पूर्व में अनुदानित महाविद्यालय के रूप में कार्यरत थे, चतुर्थ, सरकारी उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों, पंचम अन्य निजी महाविद्यालयों में रखा जाये। विश्वविद्यालय परीक्षा केन्द्रों की सूची जनवरी अंतिम सप्ताह तक विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

4. **महाविद्यालय की सम्बद्धता के संदर्भ में संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करवाये जाने की विधिक पूर्ववर्ती शर्त के संदर्भ में।** ***(सम्बद्धता विभाग)***

निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि:

(i) भारत सरकार के गजट में फरवरी 20, 2010 को UGC (Affiliation of colleges by Universities) Regulations, 2009 की धारा 4.10 में इस संदर्भ में प्रावधान निम्न प्रकार से हैं:

"Continuation of temporary affiliation of the programmes of study and the colleges itself shall be granted by the University on the year-to-year basis through inspection process prescribed in these Regulations." **(संलग्नकः UGC (Affiliation of colleges by Universities) Regulations, 2009)**

(ii) भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के इस रेग्युलेशन को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने राजस्थान विश्वविद्यालय सम्बद्धता नियम के नाम से स्वीकार किया। उक्त संबद्धता नियम की धारा 2. 10 के अनुसार

> "Continuation of temporary affiliation of the programmes of study and the colleges itself shall be granted by the University on the year-to-year basis through inspection process prescribed in these Regulations."

(संलग्नकः राजस्थान विश्वविद्यालय सम्बद्धता नियम की प्रतिलिपि)

(iii) राजस्थान विश्वविद्यालय की सम्बद्धता के स्टेच्यूट 36 (4) के अनुसार **(संलग्नक–3 राजस्थान विश्वविद्यालय सम्बद्धता नियम की प्रतिलिपि)**

> "The Syndicate shall provide for the periodical inspection of each college and may cause an inspection to made at any time."

(iv) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 06.09.2017 में विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्णय संख्या 29 के द्वारा आदेश दिया कि '"सर्वानुमति से विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा निरीक्षण शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए नहीं करवाया है, ऐसे महाविद्यालयों की सम्बद्धता पर विश्वविद्यालय द्वारा उठाये गये प्रशासनिक कदमों को अनुमोदित किया जाता है तथा यह भी निर्धारित किया गया कि ऐसे महाविद्यालयों को चिन्हित किया जावे एवं जिन महाविद्यालयों को सामयिक अथवा समय–विशेष के लिए अस्थाई सम्बद्धता मिली थी, रिन्युअल के अभाव में उक्त सम्बद्धता स्वतः रद्द मानी जाये। यह भी निर्णय किया गया कि विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने के बाद जिन महाविद्यालयों ने निरीक्षण नहीं करवाया है, ऐसे महाविद्यालय तथा जिन पाठ्यक्रमों का एक भी दफा निरीक्षण नहीं हुआ है, उन्हें चिन्हित किया जावे।"

उक्त विधिक परिस्थिति को देखते हुए सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि कानूनी प्रक्रियानुसार प्रत्येक महाविद्यालय को निरीक्षण के बाद ही संबद्धता प्रदान की जाये।

5. **विश्वविद्यालय में निजी महाविद्यालय संघ द्वारा बिना निरीक्षण एवं सम्बद्धता प्राप्त किये अनाधिकृत रूप से विद्यार्थियों को प्रवेश देने, बाद में विद्यार्थी हितों के बहाने विधि–विरूद्ध तरीके से सरकारी फण्ड का दुरूपयोग कर छात्रवृति का प्रावधान करवाने, परीक्षा दिलवाने, परीक्षा परिणाम प्राप्त करने, महाविद्यालयों में संसाधनों की कमी को छिपाने एवं महाविद्यालयों में अवांछित रूप से विद्यार्थियों से वसूली करने के मुद्दों पर विचार। विशेषकर वर्तमान एजेण्डा में बताये गये मुद्दों एवं कार्य–पद्धति के आधार पर वर्तमान विवाद के निपटारे के संदर्भ में।** ***(परीक्षा, सम्बद्धता, छात्रवृति विभाग)***

निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि:

(i) निजी महाविद्यालयों द्वारा अनाधिकृत रूप से जब तक निरीक्षण के बाद सम्बद्धता नहीं मिल जाती है, से पूर्व विद्यार्थियों का प्रवेश रोका जाये। जिससे न केवल अनाधिकृत प्रवेश रूकेंगें, बल्कि विद्यार्थियों के हितों के बहाने विधि–विरूद्ध प्रक्रिया से चलाये जा रहे महाविद्यालय की व्यवस्था को भी समाप्त किया जा सकेगा। इस हेतु विश्वविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची वेबसाईट पर प्रकाशित करें तथा सूचित करे कि यदि विद्यार्थी ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश लेंगें जिन्हें सम्बद्धता प्राप्त नहीं हैं, तो ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के सम्बद्धक महाविद्यालय के विद्यार्थी नहीं होंगें तथा उनके संदर्भ में परीक्षा इत्यादि किसी भी कार्य के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

(ii) शैक्षणिक सत्र 2017–18 में चूंकि विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है, अतः विश्वविद्यालय के आदेश 7414 दिनांक 03.01.2018 में दिये गये निर्देशों को मानते हुए अंतिम अवसर के रूप में शैक्षणिक सत्र 2017–18 हेतु विद्यार्थियों/ महाविद्यालयों के नाम पोर्टल पर डाल दिये जायें। ऐसे विद्यार्थियों से अंतिम अवसर के रूप में सत्र 2017–18 की परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने दिये जायें तथा उनकी परीक्षा करवाई जाये तथा उनकी परीक्षा करवाई जाये तथा विश्वविद्यालय के आदेशानुसार राज्यपाल द्वारा गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता, तब तक के लिए अक्षय निधि, निरीक्षण एवं निरीक्षण की प्रक्रिया को स्थगित रखा जाये।

(iii)एजेण्डा संख्या 05 के बिन्दु संख्या (i) एवं (ii) को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देने हेतु निम्न समिति का गठन किया जाता है:

अ. श्री झाबर सिंह खर्रा, अध्यक्ष

ब. डॉ. मदन सिंह पूनिया, सदस्य

स. डॉ. डी. एस. थालौड़, सदस्य

कुलसचिव द्वारा मा. सदस्यों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव